रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 678] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 6, 2017/फाल्गुन 15, 1938
No. 678] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 6, 2017/PHALGUNA 15, 1938

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2017

का.आ. 753(अ).—सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) का लक्ष्य स्वच्छ रसोई ईंधन – तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) उपलब्ध कराकर महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा करना है जिससे कि उन्हें धुएं से भरे रसोईघरों में अपने स्वास्थ्य के प्रति संकट में डालना न पड़े या ईंधन की लकड़ी इकट्ठी करने के लिए असुरक्षित जगहों पर घूमना न पड़े। गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवार की एक महिला (जिसे इसमें इसके पश्चात फायदाग्राही कहा गया है) नए एलपीजी कनेक्शन के लिए अपने नज़दीकी एलपीजी वितरक को आवेदन कर सकती है। आवेदन पर कार्रवाई करने के पश्चात तेल विपणन कंपनियां (जिसे इसमें इसके पश्चात ओएमसी कहा गया है) पात्र फायदाग्राहियों को कनेक्शन जारी करेंगी। पीएमयूवाई के अधीन जारी नए एलपीजी कनेक्शन का व्यय और उसके पश्चात सहायिकी फायदाग्राही को लाभ के रूप में प्रदान की जाती है।

और, स्कीम के अधीन पूर्वोक्त फायदा भारत की संचित निधि से किया जाने वाला आवर्ती व्यय अंतर्वलित है।

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करता है, अर्थात् :—

1. (1) स्कीम के अधीन फायदे का उपयोग करने के इच्छुक फायदाग्राही व्यष्टि से यह अपेक्षित है कि वे आधार संख्यांक के अपने पास होने का सबूत प्रस्तुत करे या आधार अधिप्रमाणन प्रक्रिया पूरी करे।

(2) स्कीम के अधीन फायदे का उपभोग करने के ऐसे किसी इच्छुक व्यक्ति को, जिसके पास आधार संख्यांक नहीं है या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, 31 मई, 2017 तक आधार नामांकन हेतु आवेदन

करना होगा, परंतु वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने के लिए हकदार हो और ऐसे व्यष्टि आधार नामांकन के लिए किसी आधार नामांकन केन्द्र (सूची यूआईडीएआई वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) का दौरा कर सकेंगे।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियमन, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, संबंधित ओएमसी, जो किसी फायदाग्राही से आधार प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा रखती है, उन्हें ऐसे फायदाग्राही के लिए आधार नामांकन सुविधाएं प्रस्थापित करना अपेक्षित होगा, जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं हुए हैं और संबंधित ब्लॉक या ताल्लुका या तहसील में आधार नामांकन केन्द्र स्थित न होने की दशा में ओएमसी से अपेक्षा की जाती है कि वह यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रारों के साथ समन्वय बनाते हुए या यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर सुविधाजनक स्थलों पर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराएं।

परंतु फायदाग्राही उस समय तक जब तक स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को आधार प्राप्त नहीं हो जाता, निम्नलिखित पहचान दस्तावेजों को प्रस्तुत किए जाने के अधीन रहते हुए ऐसे फायदाग्राही फायदे का उपभोग करते रहेंगे, अर्थात् :—

(क) (i) यदि वह आधार नामांकन आईडी पर्ची के लिए नामांकित है, या

(ii) पैरा 2 के उप पैरा (ख) में यथा विनिर्दिष्ट, आधार नामांकन के लिए किए गए अनुरोध की एक प्रति, और

(ख) निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज:

(i) फोटो सहित बैंक पास बुक, या

(ii) मतदाता पहचान पत्र, या

(iii) राशन कार्ड, या

(iv) स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड, या

(v) पासपोर्ट, या

(vi) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति, या

(vii) किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा सरकारी शीर्षनामा पर ऐसे सदस्य की पहचान का फोटो के साथ प्रमाणपत्र, या

(viii) किसान फोटो पासबुक, या

(ix) केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज।

बशर्ते यह कि पूर्वोक्त दस्तावेजों की जांच इस प्रयोजन के लिए ओएमसी द्वारा विशेष रूप से निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. फायदाग्राहियों को इस स्कीम के अधीन सहज और बाधा रहित फायदे उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, ओएमसी सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करेगी, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं, अर्थात:—

(क) मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार और एलपीजी वितरकों, आदि और अन्य किसी कार्यालय के माध्यम से व्यक्तिगत नोटिस दिए जाएंगे, उन्हें इस स्कीम के अधीन आधार की आवश्यकता के बारे में जागरूक किया जाएगा और उन्हें यह सलाह दी जा सकती है कि यदि वे पहले से नामांकित नहीं हैं तो 31 मई, 2017 तक अपने क्षेत्रों में उपलब्ध निकटतम आधार नामांकन केन्द्रों पर जाकर अपना नामांकन करा सकते हैं। स्थानीय रूप से उपलब्ध नामांकन केन्द्रों की सूची उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी।

(ख) यदि स्कीम के फायदाग्राही अपने आस पास के क्षेत्रों जैसे ब्लॉक या ताल्लुका या तहसील में नामांकन केन्द्र उपलब्ध नहीं होने के कारण आधार के लिए नामांकन करवाने में असमर्थ हैं तो ओएमसी द्वारा अपने एलपीजी वितरकों के माध्यम से सुविधाजनक स्थलों पर आधार नामांकन सुविधाओं का सृजन करना अपेक्षित है और फायदाग्राहियों से अनुरोध किया जा सकता है कि वे संबंधित एलपीजी वितरक को या इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध करवाए गए वैब पोर्टल के माध्यम से अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, एलपीजी कनेक्शन आईडी और पैराग्राफ 1 के उप पैराग्राफ (3) के परंतुक में यथा विनिर्दिष्ट अन्य ब्यौरे देकर आधार नामांकन करवाएं।

3. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से असम, मेघालय और जम्मू- कश्मीर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. पी-20019/53/2014-एलपीजी]

आशुतोष जिंदल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th March, 2017

S.O. 753(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly to them in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And, whereas, Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (PMUY) (hereinafter referred to as the Scheme) aims to safeguard the health of women and children by providing them with a clean cooking fuel – Liquefied Petroleum Gas (LPG), so that they don't have to compromise their health in smoky kitchens or wander in unsafe areas collecting firewood. A woman of the Below Poverty Line (BPL) household (hereinafter referred to as the Beneficiary), may apply for a new LPG connection to the nearest LPG distributor. The connection will be issued by the Oil Marketing Companies (hereinafter referred to as the OMC) to the eligible beneficiaries after processing the application. The expense for new LPG connection issued under PMUY and subsidy thereafter is provided as benefit to the beneficiary.

And, whereas, the aforesaid benefit under the Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government in the Ministry of Petroleum and Natural Gas hereby notifies the following, namely:—

1. (1) Individual beneficiary desirous of availing the benefits under the scheme is hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) A beneficiary desirous of availing the benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar shall have to apply for Aadhaar enrollment by 31st May, 2017, provided she is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at UIDAI website www.uidai.gov.in) for Aadhaar enrolment.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the concerned OMC which requires a beneficiary to furnish Aadhaar is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case of absence of any Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the OMC is required to provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming UIDAI registrar:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the beneficiary, benefits under the Scheme shall be given to such beneficiary subject to the production of the following identification documents, namely:–

(a) (i) if she has enrolled her Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of her request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (b) of paragraph 2 ; and

(b) Any one of the following documents:

(i) Bank passbook with photograph; or

(ii) Voter identity card; or

(iii) Ration Card, or

(iv) Permanent Account Number (PAN) Card; or

(v) Passport; or

(vi) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or

(vii) Certificate of identity having photo of such member issued by a Gazetted Officer on an official letter head; or

(viii) Kisan Photo passbook; or

(ix) Any other documents specified by the Central Government;

Provided further that the aforesaid documents shall be checked by an officer specifically designated by the OMC for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits under the Scheme to the beneficiaries, the OMC shall make all the required arrangements including the following, namely:-

(a) Wide publicity through media and individual notices through the LPG dealerships, etc., and any other offices, shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest Aadhaar enrolment centres available in their areas by 31st May, 2017 in case they are not already enrolled. The list of locally available enrolment centres shall be made available to them.

(b) In case the beneficiaries of the scheme are not able to enroll for Aadhaar due to non-availability of enrolment centres in the near vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the OMC through its LPG distributors is required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries may be requested to register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, address, mobile number, LPG connection ID and other details as specified in the proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the concerned LPG distributor or through the web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union Territories except the States of Assam, Meghalaya and the State of Jammu and Kashmir.

[F. No. P-20019/53/2014-LPG]

ASHUTOSH JINDAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2017.03.06 23:11:46 +05'30'